

परीक्षा
25/11/2021

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

वादी श्यामलाल शर्मा पुत्र बरनालाल शर्मा परेवणी	ब ना म	प्रतिवादी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी
------------------------------------------------------	--------------	-------------------------------------------------------

राजस्व वाद-पत्र = वाद रेकॉर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act 1955 एवं 136 R.L.Act 1956 शुद्धि बाबत

नम्बर 221 / 2021 GCMS No. 2021/940

हुकम या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो
इस हुकम की
तारीख में जारी
हुए


25/11/2021

वादी श्री श्यामलाल शर्मा पुत्र बरनालाल शर्मा
जाति शर्मा निवासी परेवणी द्वारा आज "प्रशासन
गांवों के संग अभियान 2021 " कैम्प ग्राम पंचायत परेवणी
में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर जमाबन्दी सम्वत् 2073 मकर
ग्राम परेवणी पटवार मण्डल परेवणी के खाता
नम्बर 165 मे वादी की राजस्व रेकार्ड में प्रविष्टि
श्यामलाल शर्मा पुत्र बरनालाल शर्मा 221/4644 राजस्व दर्ज
दर्ज है, जो अशुद्ध है।

वादी का शुद्ध नाम श्यामलाल शर्मा पुत्र बरनालाल शर्मा
श्यामलाल शर्मा पुत्र बरनालाल शर्मा है, तथा इसी अनुसार
राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है।
जिसके लिए बतौर साक्ष्य स्वरूप वादी द्वारा परिवार राशन कार्ड न.
आधार नम्बर 902801764566-श्यामलाल
40466490 2943-दशरथ
मतदाता पहचान पत्र अन्य दस्तावेज
फा.नं. 8-11-80 की छाया प्रति प्रस्तुत की है।

इस संबंध में हल्का पटवारी परेवणी भू.अ.नि ...
एवं तहसीलदार कुचामनसिटी/नायब तहसीलदार चितावा से रिपोर्ट
तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होंने वादी का उपरोक्तानुसार नाम एवं
प्रविष्टि शुद्ध किये जाने की अनुशंसा की है।

अतः वादी का वाद-पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार
राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि किये जाने के आदेश प्रदान किये
जाते हैं। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।
पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर
हो।


उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)



930932